

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
बंगलूर धर्मशाला लखनऊ।**

संख्या:— कार्यालय/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

संज्ञक: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय द्वारा—

उच्चतर मातृकी तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संशोधित सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित स्वीकृत तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, बंगलूर लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उच्चतर प्राविधिक शिक्षा परिषद, बंगलूर संज्ञक की जांचकता में तलियत कार्यालय से वेतक संपन्न हुई। कक्षा में स्वीकृति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आगेदिह नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व में संघारिता संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पर्यवहन/प्रवेश बनता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार कला हूए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सचिबि की वेतक के पृ-3 में विस्तार इन फार्मसी पर्यवहन संघारिता कले तादी पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण सदा गया। सम्बद्धता सचिबि द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय किया गया -

निम्नी क्षेत्र में स्थापित विस्तार इन फार्मसी पर्यवहन संघारिता करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, बंगलूर लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएनआईआई द्वारा जारी कक्षा अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएनआईआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रदर्शित नाम के सम्बद्ध अधिकतम पर्यवहन/प्रवेश बनता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएनआईआई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को प्रदान सम्बद्धता सचिबि की वेतक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, बंगलूर लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित वर्गों के उच्चतर पर्यवहन एवं उच्चतर अधिकतम प्रवेश अर्थात् हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पर्यवहन का नाम	पीएनआईआई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्	पीएनआईआई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्
1	सी एम गुरु जीय अकेडमी अर्थात् अकादमी, वेतकेंकरा प्रजापौर, पर्यवहन, मुजफ्फरपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीएनआईआई/पीएनआईआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्चतर वेतक प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1985 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य लिखित विचार एवं अर्थों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सहित द्वारा निर्धारित शुल्क और कक्षा इतरीय पर्यवहन हेतु रु 20,10,000/- इतरीय की कक्षा फार्मसी पर्यवहन हेतु रु-45,00,000/- इतरीय एवं एक तथा दो कक्षा पर्यवहन (जो कक्षा फार्मसी पर्यवहन के अतिरिक्त) हेतु रु-22,000 00 इतरीय शुल्क ही उच्चतर वेतक/वेतक से उच्चतर किया जाएगा। कक्षाओं के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में उच्चतर-सत्र पर आकलन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आकलनात्मक समझौते और अनुमोदन अर्थव्यवस्था किया

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश संघांक।**

संख्या- प्राथि/परिषद संसद्दाता/2019/1122

संख्या- विभाग 10-2-2019

—कार्यालय द्वारा—

राज्य प्राथमिक तजारीमी शिक्षा परिषद द्वारा संविदा कर 2018-20 हेतु डिस्ट्रिक्ट स्तरीय अनुमोदित शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संदर्भ प्राथमिक शिक्षा परिषद, संघांक संघांक में संसद्दाता/संसद्दाता विभाग द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 12-2-2019 को प्राथमिक शिक्षा परिषद, संघांक संघांक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक कायम हुई। बैठक में कर 2018-20 हेतु अनुमोदित गई संस्थाओं को संसद्दाता/पूरे के तजारीमी संस्थाओं को संसद्दाता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश आया वृद्धि/पगरी हेतु कर 2018-20 हेतु संसद्दाता प्रदान किये जाने का समाप किया गया।

उक्त के अनुक्रम में संसद्दाता समिति को बैठक के पत्र-17 में डिस्ट्रिक्ट एवं जामेती पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली गई संस्था का प्रकल्प रखा गया। संसद्दाता समिति द्वारा उक्त विभाग-विभाग को विभागीय निर्णय किया गया। —

ऐसी मनसूमापित विधियां इन जामेती संस्थाएं विभिन्न कर 2018-20 हेतु एकाई/सो/सी/आई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु एकाई/सो/सी/आई द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निर्देशशेषकर एकाई/सो/सी/आई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम कर 2018-20 हेतु परिषद से संसद्दाता प्रदान किये जाने हेतु संसद्दाता प्रदान की गयी है, के श्रेणी में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को एकाई/सो/सी/आई अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम पर्य में प्रदेश के संघ में बैठक आयोजित कर लो जामेती विभिन्न संशोधित संस्थाओं को संयुक्त बैठक संसद्दाता परिषद द्वारा आयोजित करव्यवस्था में सम्मिलित कराया जा सके।”

अतः निम्नानुसार संशोधित संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी अनुमोदित संसद्दाता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, संघांक संघांक द्वारा कर 2018-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम पर जामेती समिति प्रेषित आया हेतु संसद्दाता प्रदान की जाती है —

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एकाई/सो/सी/आई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा कर 2018-20 में अनुमोदित प्रदान किया गया
1	श्री माता सुन ओर संशोधित संसद्दाता-संघांक/पूरे, डिस्ट्रिक्ट संसद्दाता परिषद, संघांक, मुमसूमापित- 2018	विभाग द्वारा निर्णय	संघांक	संघांक	संघांक


 Director
 Office of Education
 Government of Uttar Pradesh

संशोधित संस्था

- ✓ संस्था एकाई/सो/सी/आई द्वारा निर्देशन की गयी है कि वह पूर्णतः पाठ्यक्रम को।
- ✓ परिषद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उक्त संघांक प्राथमिक शिक्षा परिषद विभाग संसद्दाता 1122 संघांक संघांक विभाग द्वारा किये गए निर्णयों का अनुमोदन प्रेषित एवं संसद्दाता विभाग द्वारा निर्देशन प्रदान किया गया है।
- ✓ संसद्दाता परिषद द्वारा किये गए निर्णयों के अनुसार पाठ्यक्रमों को संसद्दाता परिषद द्वारा किये गए निर्णयों के अनुसार प्रदान किया जा सके।